संख्या– 1838 /पॉच–6–12–4003/08

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0,लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊः दिनॉकः 26 दिसम्बर, 2012

विषयः– उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के भाग–2 के नियम–9 में अंकित कृत्रिम अंगो की सूची के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या–2275/5–6–11–1082/87, दिनांक 20.09.2011 द्वारा उ0प्र0 राज्य के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति के संबंध में उक्त नियमावली के माध्यम से प्राविधान किया गया है। उक्त नियमावली के भाग–2 के बिन्दु–9 में कृत्रिम अंग और सधित्र अनुमन्य किये गये है। इस सूची के कमांक–13 पर यह प्राविधान किया गया है कि "सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य सधित्र" के अंतर्गत सीपैप/बाईपैप यंत्र को भी सूची में निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्मिलित किया जा रहा है :–

1. चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा रोगी के स्लीपलैब की जांच रिपोर्ट के आधार पर।
2. सीपैप/बाईपैप यंत्र के प्रयोग हेतु फर्म द्वारा सर्विस प्रोवइडर के द्वारा प्रयोगविधि के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होने पर।
3. सीपैप/बाईपैप यंत्र की निर्धारित दर/ सी0जी0एच0एस0 दर में से जो भी कम हो, पर कय किया जा सकता है।

2– उक्त नियमावली के उक्त नियम में दिये गये शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेगें।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/5–6–11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला) उ0प्र0
6. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(आर0एस0परिहार)
अनु सचिव।